

नगर नियम शिमला

जल एवं निकास विभाग

श्री ..... जे ..... के लिए नए पानी/सिवरेज तथा पानी/सिवरेज कुनैकलास के विस्तार हेतु आवेदन किया है। इनपां भवत में लगे पानी के कुनैकलास का विवरण दें। क्या भवत में आवेदनकर्ता/स्वामी/किटाएवार है? भवत में पानी/सिवरेज कुनैकलास देने में विभाग को कोई आपत्ति है या नहीं तथा तदनीको सिफारिशों सहित नस्ति निर्धारित समय में आविष्ट लिंगाये:—

विभाग/अनुभाग	नस्ति प्राप्त जलने की तिथि	नस्ति नियतन करने की तिथि	सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के हस्ताक्षर
1. सहायक राजस्व-II एवं बीटर रीडर			
2. अधीक्षक (राजस्व)			
3. सहायक सचिव (कर)			
4. वास्तुकार योजनाकार			
5. कनिष्ठ अभियन्ता वास्तुक योजनाकार कार्यालय			
6. कनिष्ठ अभियन्ता जल एवं निकास विभाग			
7. सहायक अभियन्ता जल एवं निकास विभाग			
8. सहायक राजस्व जल एवं निकास विभाग-I			

नियम अभियन्ता,  
जल एवं निकास विभाग,  
नगर नियम शिमला।

- (1) पानी के नए घरेलू व्यवसायिक कुनैवशन  
 (2) नए सिवरेज कुनैवशन  
 (3) पानी/सिवरेज कुनैवशन के विस्तार हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में

निगम अभियन्ता,  
 जल एवं निकास विभाग,  
 नगर निगम, शिमला।

1. भवन का नाम	.....
2. स्थान	.....
3. यदि भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तो बर्तमान स्थिति क्या है ?	.....
4. यदि नव निर्माण भवन के लिए चाहिए तो क्या भवन का नक्शा नगर निगम से स्वीकृत हो चुका है	.....
5. यदि पुराने भवन के लिए चाहिए तो निर्माण वर्ष	.....
6. भवन के स्वामी का नाम	.....
7. स्थापित का नाम जिसने कुनैवशन के लिए आवेदन किया है	.....
8. जिसने कुनैवशन के लिए आवेदन किया है वह मालिक है अथवा किसायेदार	.....
9. क्या भवन नगर निगम सीमा के भीतर या बाहर आता है	.....
10. पाइप का व्यास	.....
11. (क) पलथ सिस्टम की संख्या	.....
(ख) पानी के नलकों की संख्या	.....
12. पवाचार हेतु पता (दूरभाष नं० सहित)	.....
13. स्थाई पता (दूरभाष नं० सहित)	.....
14. यदि सिवरेज कुनैवशन चाहिए तो पानी के स्वीकृत कुनैवशन का अंग्रेजी :	.....
(क) कुनैवशनों का खाता संख्या	.....
(ख) अन्तिम अदायगी रसीद की प्रतिलिपि	.....

हस्ताक्षर  
 लाइन प्राप्त पत्रबार,  
 गोट्ट उहित वया दिनांक ।

कार्यालय प्रयोग हेतु

प्रार्थी के हस्ताक्षर

निगम अभियन्ता

स्वीकृत प्राधिकारी

**पाद नोट:** यह आवेदन-पत्र द्विसिंग नलीय पर साईट लान सहित भेजें जिसमें नगर निगम की पार्श्वी की नजदीकी लाईन/सिवरेज पाई जाए तथा स्थान दर्शाया गया हो। जो कि स्पॉटिंग ड्रेनेज गल के अनुसार सेनीटोरी कार्य हेतु हो। पार्श्वी की लाईन विभिन्न रंगों में बदली गई हो जो कि सेनीटोरी कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है।

**कार्यालय प्रदोग हेतु :**

**कनिष्ठ अधिकारी/सहायक अधिकारी की स्थितिरिक्षः**

निम्नलिखित गतों के आधार पर स्वीकृति हेतु तिफारिश की जाती है:—

1. प्रार्थी को मीटर चाजिल के रूपमें ..... जमा करवाने होंगे।
2. प्रार्थी को प्रतिसूति के रूपमें ..... जमा करवाने होंगे।
3. प्रार्थी को सिवरेज कूलरजन चाजिल के रूपमें ..... जमा करवाने होंगे।
4. पार्श्वी की खपत रूपमें ..... प्रति 1000 लीटर बहुल किए जाएंगे।
5. रखये ..... प्रति मास रक्क-रखाव हेतु बहुल किए जाएंगे।
6. प्रार्थी द्वारा सड़क चौड़ाने के लिए सम्बन्धित विभाग से पूर्व अनुमति ली जाए।

**सहायक अधिकारी ।**

**कनिष्ठ अधिकारी ।**

चापकीय मुद्रणालय, हिं0 प्र0, जिमला—754-८०० ग्र0, जिमला/2013-6-8-2013—5,000.

### **तकनीकी सिफारिश कार्य**

1. वर्तमान में पानी भालिक/किरायेदार द्वारा कहां से प्रयोग किया जा रहा है ?
2. कनेक्शन देने की सिफारिश करते समय सहायक अधिकारी/कनिष्ठ अधिकारी यह भी प्रमाणित करें कि कनेक्शन लाइंट से बाहर पानी की सलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
3. क्या प्रस्तावित कनेक्शन में लाइन/ब्रॉन्च लाइंट से पानी का कनेक्शन प्रस्तावित किया गया है, उस लाइंन का आकार भी विशेष रूप से दर्शायें ।
4. क्या यह कनेक्शन व्यवसायिक है या घरेलू ?
5. क्या थोल नियम सीमा में आता है या नगर नियम की सीमा से बाहर ?
6. क्या कनेक्शन देने की सिफारिश की गई है या तकनीकी कठिनता के कारण अस्वीकार करने की सिफारिश की गई है ?

**सहायक अधिकारी**

राजस्थान मुद्रणालय, हिं0 प्र0, जियडा—1244-नगर नियम, जियडा/2012-29-1-2013—10,000.

**कनिष्ठ अधिकारी**